सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –20.04.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 03 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 232/14 (वाद संख्या – 45/2016) धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम शिव मोहन मिश्रा पुत्र चुन्नीलाल निवासी कस्वा थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शिव मोहन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 09/2001 (वाद संख्या – 897/2002) धारा 323/504/506 भादवि बनाम राजेन्द्र सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी ग्राम सलैया खुर्द थाना नदीगांव जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एजेएम कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय – कोत0 कोंच में मु0अ0सं0 352/2011 (वाद संख्या – 329/2011) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम वीरन पुत्र गया बहेलिया निवासी मो0 कटरा पहाड़पुरा कस्वा व थाना समथर जनपद झांसी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एजेएम कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त वीरन उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बिताई गयी अवधि एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।